	इजलास प्रार्थी रामचन्द्र व उनके अभिभाषक के सुना व पत्रावली मय प्रस्तुत आवेदन आदि का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी व वकील प्रार्थी के निवेदन पर श्री [illegible] प्रतिपक्ष स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अ. 10 [illegible] स्वीकार किया जाता है। वकील वादी ने कुछ दस्तावेजात पेश किये जो शा. प. रहे। पत्रावली मे पूर्व में उभयपक्ष का राजीनामा हो चुका है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/10/19 मुल्तवी हो पेश हो। [signature]
1/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। शपथपत्र शंकरलाल व महेश कुमार के बयान पेश हुए जो शा.प. रहे। पत्रावली आइन्दा दिनांक 7/10/19 को बहस पेश हो। [signature] शंकरलाल महेशकुमार
7/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 24/10/19 को पेश हो। [signature]
24.10.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर तन मे

Copy Not Official

Scanned with CamScanner

अवाप्तित कृषि भूमि खसरा सं. 644, 645, 649,
650 व 651 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर
का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को 1/3 - 1/3
हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी
हो। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/87/2018

शंकरलाल पुत्र डूंगाराम जाति नायक निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर —वादी

ब ना म

1. नाथु पुत्र डूंगाराम
2. मोहन पुत्र डूंगाराम
   समस्त जाति नायक निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड संशोधन
अ. धा. 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री गणपतलाल वकील वादी की ओर से
2. श्री गोविन्द सिंह वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से

–निर्णय–

दिनांक– 24.10.2019

01. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त पैतृक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 644 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 1.36 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसमें वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक, हिस्सा एवम् कब्जा काष्त चला आ रहा है। उपर्युक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 393 व 394 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहे है। वादी एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्व0 डूंगाराम के वंशज है, जिनकी वंशावली निम्नानुसार है–

डूंगाराम पुत्र श्योला

नाथु	रामेश्वर (अविवाहित फौत)	मोहन	शंकरलाल	दाखादेवी (फौत)

उक्त वर्णित कृषि भूमियों की पूर्व में खातेदारी वादी के पिता डूंगा पुत्र श्योला के नाम से थी। डूंगा के चार पुत्र हुए, जिसमें वादी सबसे छोटा पुत्र है। जिस समय डूंगाराम की मृत्यु हुई, उस समय वादी छोटा नाबालिग बच्चा था इसलिए वादग्रस्त भूमि का विरासत का नामांतकरण खोलते समय डूंगा के पुत्र नाथु रामेश्वर व मोहन के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई वादी को अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी से वंचित कर दिया गया। उक्त भूल सहवन से हुई है। उक्त खातेदारी दर्ज होने के बाद में खातेदार रामेश्वर ना औलाद फोत हो चुका है। स्व0 रामेश्वर के निकटतम वारिस वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। जिनको दुरूस्त किया जाकर वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3, 1/3 भाग का संयुक्त काबिज, खातेदार उदघोषित किया जावे। वादी स्व0 डूंगा का वारिस है। इस सम्बन्ध में वादी के पासपोर्ट की नकल, चुनाव पहचान पत्र की नकल,

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

राशन कार्ड की नकल वाद के संलग्न प्रस्तुत की जा रही है। रेवेन्यू रिकार्ड में गलत अंकन होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई है और वह वादग्रस्त भूमि पर से वादी को बलात रूप से बेदखल कर विक्रय करने पर आमादा है, दिनांक 19/11/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनके गिरोह के व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादी को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देंगें तो वादी का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल होकर वादी की अपार क्षति होगी। न्यायहित में प्रतिवादीगण के उपर्युक्त दुष्कृत्यों से बाज रखने हेतु उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित, आवश्यक एवम न्याय संगत है। प्रतिवादी संख्या 3 लोक सेवक की श्रेणी में आता है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हे दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तुत मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दो माह का विधिक नोटिस दिये बिना ही माननीय न्यायालय की स्वीकृति से वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 19/11/2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने विक्रय करने की धमकी देने तथा रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त करने से इंकार होने पर उत्पन्न हुआ। दावा उचित शुल्क पर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार में होने से सादर प्रस्तुत है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 644 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 1.36 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में खातेदार स्व0 रामेश्वर का नाम हजफ किया जाकर वादी एवम प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 – 1/3 भाग का संयुक्त काबिज खातेदार उद्घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में संषोधन व अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों का किसी भी रूप से हस्तांतरित व प्रभारित करने, अन्यों का कब्जा सम्भलाने, वादी को बलात रूप से बेदखल करने से बाज रहे।

02. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्दसिंह ने वकालतनामा पेश कियाा। दिनांक 15.12.2016 को वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त पैतृक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 644 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 1.36 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थिति है। जिसमें वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक, हिस्सा एवम कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपर्युक्त भूमियों के पूराने खसरा नम्बर 393 व 394 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहे है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों की पूर्व में खातेदारी वादी के पिता डूंगा पुत्र श्योला के नाम से थी। डूंगा के चार पुत्र हुए, जिनमें वादी सबसे छोटा पुत्र है। जिस समय डूंगाराम की मृत्यु हुई, उस समय वादी छोटा नाबालिग बच्चा था और वादग्रस्त भूमि का विरासत का नामांतरकरण खोलते समय डूंगा के पुत्र नाथु रामेश्वर व मोहन के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। वादी को अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी से वंचित कर दिया गया। उक्त गलती सहवन से हुई है। उक्त खातेदारी दर्ज होने के बाद में खातेदार रामेश्वर नाऔलाद फोत हो चुका है। स्व0 रामेश्वर के निकटतम वारिस हम ही है अतः वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

1/3, 1/3 भाग संयुक्त काबिज, खातेदार घोषित किये जाने एवं रामेश्वर का नाम हजफ किये जाने हेतु वादी एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पूर्णतया सहमत है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना प्रार्थनीय है। साक्ष्य में वादी ने वाद के समर्थन में शंकरलाल एवं महेश के शपथ-पत्र पेश कराये जिनको शामिल पत्रावली किया गया।

03. उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने मुताबिक राजीनामा के वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

04. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद की डिक्री वादी के पक्ष में करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों का वादी के पक्ष में प्रमाणित होना आवश्यक है :-

(A) वादी डूंगाराम का जायन्दा पुत्र है।

(B) डूंगाराम की विरासत के नामान्तकरण संख्या 437 ग्राम धोद में वादी का नाम अंकित नही करना गैर कानूनी था।

(C) रामेश्वर के नाऔलाद फौत होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही उसके जीवित वारिस है।

(D) वादी विवादित भूमि में अपने पक्ष हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज पासपोर्ट की प्रति, मतदान फोटो पहचान पत्र की प्रति,राशन कार्ड की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र एवं वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि वादी डूंगाराम का जायन्दा पुत्र है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 437 ग्राम धोद तहसील सीकर डूंगाराम के फौत होने पर उनके तीन पुत्रों नाथू, रामेश्वर व मोहन के नाम पर भरा जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.11.78 को स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तकरण में वादी का नाम अंकित नहीं किया गया, जबकि वादी डूंगाराम का जायन्दा पुत्र है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी का वारीस होने के कारण डूंगाराम की भूमि में उसका हक स्वतः प्रमाणित है। अतः नामान्तकरण संख्या 437 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है। पत्रावली के संलग्न मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार डूंगाराम के पुत्र रामेश्वर की दिनांक 30.10.95 को मृत्यू हो चुकी है तथा पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार रामेश्वर नाऔलाद फौत हुआ है। रामेश्वर की माता दाखादेवी एंव पिता डूंगाराम की भी पूर्व में ही मृत्यू हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामेश्वर के सगे भाई है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का रामेश्वर का द्वितीय श्रेणी का वारिस होना प्रमाणित है, जिसकी भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर-बराबर अधिकार बनता है।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2031-34 वाके ग्राम धोद के अनुसार खसरा नं. 393 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं. 394 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी डूंगा पुत्र श्योला कौम नायक सा.देह के नाम पर दर्ज है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 437 दिनांक 28.11.78 के अनुसार उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण डूंगाराम के तीन पुत्रों नाथू, रामेश्वर व मोहन के नाम पर खोला गया है। उक्त नामान्तकरण में डूंगाराम के जायन्दा पुत्र वादी शंकर लाल का नाम अंकित नहीं किया गया है। विरासत के नामान्तकरण में प्रथम श्रेणी के वारिस का नाम छोड़ा जाना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है, अतः उक्त नामान्तकरण हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। अतः वादी अपने पिता की भूमि में से अपने हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा कराने का अधिकारी है। पत्रावली में संलग्न मिशल हकीकत के अनुसार पुराने खसरा नं. 393 व 394 से नये खसरा नं. 644, 645, 649, 650 व 651 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर बनना प्रमाणित है। अतः उपर्युक्त विवरण एवं प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का डिक्री किया जाता है कि ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 644, 645, 649, 650 व 651 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को 1/3 – 1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय- सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

शंकरलाल बनाम नाथु आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड संशोधन

मुकदमा नम्बर– 87/2016 निर्णय दिनांक– 24.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री गणपतलाल मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री गोविन्द सिंह मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 644, 645, 649, 650 व 651 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को 1/3 – 1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

यह आज तारीख 24.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.14 12:06:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: